न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 163/2018

अनवान :

1. सुरेन्द्र पुत्र दलीप जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. दलीप पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. मोहरसिंह पुत्र दलीप जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. लीलाधर पुत्र दलीप जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. सन्तोष पुत्री दलीप जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री जयकिसन गोदारा : **वादी**

वकील श्री राममूर्ति ताखर : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 19-6-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 65/177 के खसरा सं0 76 की 5.8680 है0 खसरा सं0 80 की 0.0760 है0 खसरा सं0 92 की 4.1860 है0 खसरा सं0 200 की 6.4240 है0 खसरा सं0 208 की 6.2340 है0 खसरा सं0 254 की 3.0600 है0 खसरा सं0 256 की 0.1140 है0 खसरा सं0 259 की 1.0370 है0 कुल खसरा सं0 8 की 26.9990 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दलीप का 8/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है व वादी के दादा सोहनलाल के समय की है। सोहनलाल की मृत्यु होने के बाद वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 दलीप के कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हो गई।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं0 1 वादी का पिता है, प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादी के सगे भाई व प्रतिवादिया सं0 4 वादी की सगी बहन है। कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दलीप के नाम दर्ज रहने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 4 ने लोक

अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेन्द्र पुत्र दलीप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम अलायला के खाता सं0 65/177 सम्वत् 2073 से 76 की प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम अलायला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम शिवदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम अलायला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा सोहनलाल वल्द तनू के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में दलीप के वारिसान में पत्नि अनकोरी, तीन पुत्र मोहरसिंह, सुरेन्द्र, लीलाधर व एक पुत्री सन्तोष होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 65/177 के खसरा सं0 76 की 5.8680 है0 खसरा सं0 80 की 0.0760 है0 खसरा सं0 92 की 4.1860 है0 खसरा सं0 200 की 6.4240 है0 खसरा सं0 208 की 6.2340 है0 खसरा सं0 254 की 3.0600 है0 खसरा सं0 256 की 0.1140 है0 खसरा सं0 259 की 1.0370 है0 कुल खसरा सं0 8 की 26.9990 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दलीप का 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है में से प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 163/2018

अनवान :

1. सुरेन्द्र पुत्र दलीप जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. दलीप पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. मोहरसिंह पुत्र दलीप जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. लीलाधर पुत्र दलीप जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. सन्तोष पुत्री दलीप जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री जयकिशन गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 65/177 के खसरा सं0 76 की 5.8680 है0 खसरा सं0 80 की 0.0760 है0 खसरा सं0 92 की 4.1860 है0 खसरा सं0 200 की 6.4240 है0 खसरा सं0 208 की 6.2340 है0 खसरा सं0 254 की 3.0600 है0 खसरा सं0 256 की 0.1140 है0 खसरा सं0 259 की 1.0370 है0 कुल खसरा सं0 8 की 26.9990 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दलीप का 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है में से प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19–6–19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़